रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102020-222720
CG-DL-E-24102020-222720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2020/कार्तिक 1, 1942
No. 543] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2020/KARTIKA 1, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 665(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा तैयार किए गए, इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा वर्णित, पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 को एतद्द्वारा अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदित उक्त संशोधित विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतद्द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2011 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः –

1. (1) इन विनियमों को पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2011 में, अनुसूची में,

''ईएंडएम विभाग, पीपीटी के अंतर्गत श्रेणी–I पदों हेतु भर्ती नियम'' शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 4 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां सन्निविष्ट की जाएंगी नामतः –

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	श्रेणीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (वर्षों में)
1	2	3	4	5	6	7
4क	सुरक्षा एवं प्रशिक्षण अधिकारी	1	श्रेणी– I	50000 – 160000 रु. (20600 –46500 रु. का पूर्व–संशोधित वेतन मान)	चयन	30

सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक और अन्य योग्यता	क्या पदोन्निति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में सीधी भर्ती किए गए कार्मिकों के लिए (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)
8	9	10
किसी पत्तन अथवा ऐसे ही स्थान पर पर्यवेक्षक की हैसियत से दो वर्षों के अनुभव के साथ अभियांत्रिकी की किसी भी शाखा में डिग्री; अथवा किसी पत्तन अथवा ऐसे ही स्थान पर पर्यवेक्षक की हैसियत से पांच वर्षों के अनुभव के साथ अभियांत्रिकी की किसी भी शाखा में डिप्लोमा **के साथ** (i) केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (ii) उड़िया भाषा का पर्याप्त ज्ञान (iii) स्वतंत्र रूप से अथवा प्रशिक्षण विभाग के समन्वय से गोदी कर्मचारियों को होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों के अभिविन्यास और चलाने के लिए पर्याप्त ज्ञान अथवा अनुभव	क. नहीं ख. हां ग. हां	2

भर्ती की पद्धति (क्या यह सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्निति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा है)	पदोन्निति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में ग्रेड, जिनसे इसे किया जाना चाहिए	टिप्पणी
11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा – 66.2/3 % पदोन्निति द्वारा 33.1/3 %	कॉलम 8 में यथाउद्धत अपेक्षित योग्यता और अनुभव के साथ सहायक अभियंता के ग्रेड से	

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 386(अ), दिनांक 12 मई, 2011 के द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित संख्याओं के तहत संशोधित किया गया था :–

(i) सा.का.नि. 819(अ), दिनांक 30 अक्टूबर, 2015;

(ii) सा.का.नि. 1102(अ), दिनांक 13 नवंबर, 2018;

(iii) सा.का.नि. 1143(अ), दिनांक 29 नवंबर, 2018; और

(iv) सा.का.नि. 759(अ), दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

[फा. सं. पीआर–24021/12/2020 पीई–I]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2020.

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020, made by the Board of Trustees of the Paradip Port Trust, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Paradip hereby makes the following regulations further to amend the Paradip Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Paradip Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Gazette of India.

2. In the Paradip Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule,

(i) under the heading "Recruitment Rules for Class-I Posts under E&M Department, PPT ", after serial number 4, following serial number and entries shall be inserted namely:-

Sl.No.	**Name of the Post**	**No. of posts**	**Classification**	**Scale of pay (Rs.)**	**Whether selection or non selection**	**Upper age limit for direct recruitment (in years)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4 A	Safety & Training Officer	1	Class-I	Rs.50000 -160000/- (pre-revised scale of Rs.20600 -46500/-)	Selection	30

Educational and other Qualification prescribed for direct recruitment	**Whether (a) Age (b) Educational qualification (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/ absorption/ deputation**	**Period of probation (in years)**
8	**9**	**10**
Degree in Engineering in any branch with two years experience in a supervisory capacity in a Port or similar place; Or Diploma in Engineering in any branch with five years experience in a supervisory capacity in a Port or similar place **With**	a. No b. Yes c. Yes	2

(i) Degree or Diploma in Industrial Safety recognized by Central Government. (ii) Adequate knowledge in Odiya (iii) Adequate knowledge or experience to design and conduct either independently or in collaboration with the training department suitable training and educational programmes for prevention of accidents to Dock Workers.		

Method recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/ absorption/ deputation	**In case of promotion / absorption/ deputation grades from which it should be made**	**Remarks**
11	**12**	**13**
By direct recruitment -66.2/3% By promotion 33.1/3%	From Assistant Engineer with requisite qualification and experience as mentioned in Col. 8	

Footnote : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 386(E), dated the 12th May, 2011 and was subsequently amended *vide* number-

(i) G.S.R. 819(E), dated the 30th, October, 2015;

(ii) G.S.R. 1102(E), dated the 13th, November, 2018;

(iii) G.S.R. 1143(E), dated the 29th, November, 2018; and

(iv) G.S.R. 759(E), dated the 4th, October, 2019.

[F. No. PR-24021/12/2020-PE-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.24 11:35:36 +05'30'